

|                                                                   |      |                |
|-------------------------------------------------------------------|------|----------------|
| न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं०-06<br>जनपद – कानपुर देहात। |      |                |
| सत्र वाद संख्या- 1941/2024                                        |      |                |
| राज्य                                                             | बनाम | भूपेन्द्र सिंह |

|                                                                             |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| नाम साक्षी:<br>डा० विनीत कुमार सोनकर पुत्र श्री जुग्लीलाल सोनकर             | अपराध संख्या-514/2024     |
| उम्र: लगभग 39 वर्ष,<br>पेशा: चिकित्सक                                       | धारा- 109(1), 352 BNS     |
| वर्तमान तैनाती पता साक्षी-<br>सी०एच०सी० बरीपाल,<br>थाना-घाटमपुर, कानपुर नगर | थाना-घाटमपुर, कानपुर नगर। |

**दिनांक:-01.04.2026**

मैं साक्षी: डा० विनीत कुमार सोनकर पुत्र श्री जुग्लीलाल सोनकर, उम्र: लगभग 39 वर्ष, पेशा: चिकित्सक, वर्तमान तैनाती पता साक्षी- सी०एच०सी० बरीपाल, थाना-घाटमपुर, कानपुर नगर शपथपूर्वक यह बयान करता हूँ कि....

1. दिनांक 04.10.2024 को मेरी ड्यूटी सीएचसी घाटमपुर में आकस्मिक चिकित्साधिकारी के पद पर थी। उसी दिन दोपहर लगभग 01:20 बजे चोटिल सरला देवी को पीआरडी अनुसइया थाना घाटमपुर द्वारा मेरे पास मेडिकल परीक्षण हेतु लाया गया था।
2. चोटिल का मेडिकल परीक्षण मेरे द्वारा किया गया था। चोटिल सरला देवी के शरीर पर कुल दो चोटें थीं। चोटों का विवरण निम्नवत है-
- (A) LACERATED WOUND 3 X 0.5 CM X SCALP DEEP तक था जो कि सिर के पिछले हिस्से पर गर्दन से 11 से०मी० ऊपर की तरफ मौजूद था।
- (B) CONTUSED SWELLING 5 X 3 CM बायें कंधे के पिछले भाग पर मौजूद थी।

3. उक्त दोनों चोटें HARD AND BLUNT OBJECTS से आना संभव हैं।
4. चोटिल सरला देवी की मेडिकल परीक्षण रिपोर्ट मेरे द्वारा तैयार की गयी थी जो कि मेरे हस्तलेख में है। जिस पर मेरे हस्ताक्षर हैं। जिसकी मैं पुष्टि करता हूँ। जिस पर प्रदर्श P-4 अंकित किया गया।
5. उपरोक्त मुकदमें के विवेचक ने मेरा बयान अंकित किया था।

### प्रतिपरीक्षा द्वारा अभियुक्त भूपेन्द्र सिंह

6. चोटिल दिन के करीब 01:20 बजे मेरे पास आयी थी। चोटों का इलाज मेरे द्वारा किया गया था। मैं नहीं बता सकता कि चोटिल के साथ कौन-कौन था।
7. मेडिकल परीक्षण रिपोर्ट में चोटें अंकित हैं। मेडिकल परीक्षण रिपोर्ट में चोटों के इलाज का विवरण अंकित नहीं है और न ही मैं इस बारे में बता सकता हूँ।
8. चोटिल अस्पताल में भर्ती नहीं हुई थी बल्कि मेडिकल कराकर चली गयी थी।
9. चोटिल को आयी चोटें HARD AND BLUNT OBJECTS से आना संभव हैं। मैं यह नहीं बता सकता हूँ कि चोटें गिरने से आयी हैं या कैसे आयी हैं।

मेरे बोलने पर आज यह बयान  
रीडर द्वारा टंकित किया गया।

सुनकर तस्दीक किया।